न्यायालयः–सिविल न्यायाधीश, सरवाड़, जिला–अजमेर

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र सं. 55/2021
महावीर वगैरह बनाम तहसीलदार वगैरह

19.08.2021

वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस अंतरिम हेतु निवेदन किया जिस पर उभयपक्षों को सुना गया।

दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित सीमाओं में प्रार्थीगण के मकानात वाकै ग्राम सूंपा के आबादी क्षेत्र में अवस्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण अपने परिवारजन सहित निवास करते आ रहे हैं तथा वादवर्णित सीमाओं में स्थित भूमि में प्रार्थीगण के कच्चे पक्के मकानात बने हुए हैं तथा उक्त सीमाओं में ही ग्राम पंचायत सूंपा द्वारा प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों को आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टेशुदा भूमि पर ही प्रार्थीगण काबिज होकर अपने मकानात का उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण के मकानों के जानिब उत्तरी ओर श्मशान जाने वाला कच्चा रास्ता है तथा उसके आगे अप्रार्थी सं. 3 की कृषि भूमि है उक्त अप्रार्थी सं. 3 ने नाजायज अनाधिकृत तरीके से श्मशान जाने वाले रास्ते की ओर डोल डाल दी व अप्रार्थी सं. 3, 4 द्वारा अप्रार्थी सं. 1, 2 को झूठी शिकायत कर प्रार्थीगण के कच्चे पक्के मकानात को हटाकर रास्ता बनाने हेतु उतारू हो रहे हैं व इस आशय की पूर्ति में अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा दिनांक 22.07.21 को मौके पर आए एवं एलानिया धमकियां दी जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1, 2 से निवेदन किया कि हमारे उक्त मकानात का पट्टा वर्ष 1975 में ही ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति होने के आधार पर आबादी में निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है तथा हम पट्टाधारी है और अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपने खेत की भूमि में रास्ते की भूमि को दबाकर अतिक्रमण कर डोल डाल दी गई है जिस पर अप्रार्थीगण मौके पर आगबबूला होकर एलानिया धमकियां देने लगे तथा अप्रार्थी सं. 3 द्वारा नाजायज अनाधिकृत तरीके से अपने खेत की सीमाओं को आगे बढ़ाकर आम रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से तीन–तीन फीट उंची मिट्टी की डोल डालकर रास्ते को बंद कर दिया। इसलिए अप्रार्थीगण को रोके जाने का तर्क प्रस्तुत किया।

जबकि दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ताा द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस सम्पत्ति के संबंध में दावा पेश किया गया है व प्रतिवादी सं. 1 अर्जुन सिंह को पक्षकार बनाया गया है वह सम्पत्ति अर्जुन सिंह की है ही नहीं, वह सम्पति भंवर सिंह की है एवं उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। उक्त सम्पति का सीमाज्ञान करवाए जाने पर वादीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रार्थीगण की सम्पति की कोई पहचान नहीं बताई गई है, ना ही कोई विशिष्ट विवरण किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने का तर्क प्रस्तुत किया।

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा होता है कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम सूंपा तहसील सरवाड़ के आबादी क्षेत्र में अवस्थित है जिसके संबंध में उनके द्वारा पट्टे पेश किए गए हैं। उभयपक्षों में सम्पति के अवस्थित होने का तथ्य विवादित नहीं है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना, पक्षकारान् में वाद बहुलता ना बढ़े, इस कारण अप्रार्थीगण को पाबंद कर यह आदेश दिया जाता है कि वे पट्टे के संलग्न नक्शे में अंकित चतुर्थ सीमाओं वाले भूखण्ड में जबरन कोई तोड़फोड नहीं करने एवं ना ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रार्थीगण को बेदखल करें, ना ही जबरन रास्ता निकालें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली पेश होने जवाब टी.आई. हेतु दिनांक .....को पेश हो।